न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 271/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/363)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हरदयाल सिंह पुत्र चुग्धा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर 2. कुलवीर सिंह पुत्र काबल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर 3. निशान सिंह पुत्र चुग्धा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर 4. काबल सिंह पुत्र चुग्धा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर		1. हरपाल सिंह पुत्र चुग्धा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. मनमोहन सिंह पुत्र चुग्धा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीकरनपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 91ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 21.08.2023

उपस्थितः1 .श्री कुलदीप बाना, सुभाष गरूडा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री सतवीर कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

---निर्णय--- दिनांकः 25.10.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने काश्त की सहुलियत के लिए आपस में वादगत भूमि का घरेलू मौखिक बंटवारा किया हुआ है। जिसका विधिवत् बंटवारा नहीं हुआ है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने भूमि का घरू वाहमी बंटवारा किया हुआ है। घरू बंटवारानामा में वादी संख्या 1 हरदयाल सिंह को चक 5 एफ एफ के मु0नं0 20 के किला नं0 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 प्रत्येक सालम-सालम कुल 2.024 है0 नहरी भूमि प्राप्त हुई है। वादी संख्या 2 कुलवीर सिंह को घरू बंटवारानामा में चक 5 एफ एफ के मु0नं0 20 के किला नं0 3, 4 प्रत्येक सालम-सालम कुल 0.506 है0 नहरी भूमि प्राप्त हुई है। वादी संख्या 3 निशान सिंह को घरू बंटवारानामा में चक 5 एफ एफ के मु0नं0 24 के किला नं0 1 में 0.126 है0, किला नं0 10, 11, 20, 21 प्रत्येक सालम-सालम कुल 1.138 है0 नहरी भूमि एवं चक 5 एफ एफ के मु0नं0 29 के किला नं0 1 में 0.253 है0, किला नं0 2 में 0.025 है0, किला नं0 9 में 0.025 है0, किला नं0 10 में 0.253 है0 कुल 0.556 है0 नहरी भूमि एवं मु0नं0 9 के किला नं0 3 में 0.253 है0 तथा मु0नं0 20 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 प्रत्येक सालम-सालम कुल 2.530 है0 नहरी भूमि प्राप्त हुई है। वादी संख्या 4 काबल सिंह को घरू बंटवारानामा में चक 5 एफ एफ के मु0नं0 6 के किला नं0 1, 10, 11, 20, प्रत्येक सालम-सालम व किला नं0 21 में 0.227 है0, कुल 1.239 है0 नहरी भूमि एवं मु0नं0 18 के किला नं0 1 में 0.127 है0, किला नं0 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 प्रत्येक सालम-सालम कुल 1.898 है0 नहरी भूमि एवं मु0नं0 25 के किला नं0 1 में 0.227 है0, व किला नं0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, प्रत्येक सालम-सालम व किला नं0 10 में 0.227 है0 व किला नं0 12 में 0.228 है0, किला नं0 13 में 0.253 है0, किला नं0 14 में 0.076 है0 कुल 3.035 है0 नहरी भूमि व मुं0नं0 47/13 में 0.076 है0 खाला भूमि प्राप्त हुई है। आज से दो रोज पूर्व वादीगण प्रतिवादीगण से मिले और उनसे कहा कि वह उक्त भूमि मे जो उनके हिस्सा में घरू बंटवारानामा अनुसार आई है के नाम करवा देवे तथा उक्त भूमि को खुर्द बुर्द ना करे तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इंकार करते हुये कहा कि हम तुम्हे तुम्हारे हिस्सा व कब्जा की भूमि को आगे मुन्तकिल कर देगे, यदि प्रतिवादीगण ऐसा करने में सफल हो गये तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति की जानी किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर घरू बंटवारानामा में प्राप्त भूमि का खाता व लगान वादीगण के नाम कायम किए जाने के आदेश फरमावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सतवीर कुमार उपस्थित आए। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 हरपाल सिंह

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

को घरू बंटवारा में चक 5 एफ एफ के मु0नं0 6 के किला नं0 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19 प्रत्येक सालम-सालम व किला नं0 22 में 0.227 है0, किला नं0 23 में 0.228 है0, कुल 2.479 है0 नहरी भूमि एवं मु0नं0 29 के किला नं0 2 में 0.228 है0, किला नं0 3, 4, 5, 7, 8 प्रत्येक सालम-सालम, किला नं0 9 में 0.228 है0 कुल 1.721 है0 नहरी भूमि एवं मु0नं0 25 के किला नं0 11 में 0.227 है0, किला नं0 12 में 0.025 है0 नहरी भूमि कुल 0.252 है0 नहरी भूमि एवं मु0नं0 9 के किला नं0 1,2,4,7,8 प्रत्येक सालम-सालम में कुल 1.265 है0 नहरी भूमि प्राप्त हुई है प्रतिवादी संख्या 2 मनमोहन सिंह को घरू बंटवारा में चक 5 एफ एफ के मु0नं0 6 के किला नं0 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, प्रत्येक सालम-सालम किला नं 24 में 0.228 है0, व किला नं0 25 में 0.228 है0, कुल 2.480 है0 एवं मु0नं0 25 के किला नं0 14 में 0.177 है0, किला नं0 15, 16, 17, 18, 19, प्रत्येक सालम-सालम किला नं 20 में 0.227 है0 व किला नं0 21 में 0.202 है0 व किला नं 22 में 0.228 है0, व किला नं0 23 में 0.228 है0 व किला नं 24 में 0.228 है0 व किला नं 25 में 0.228 है0 कुल 2.783 है0, व मु0नं0 47/15 में 0.075 है0 मय खाला कुल 2.858 है0 नहरी भूमि प्राप्त हुई है। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम पेश नहीं करने हेतु अर्ज किया। जवाब काउन्टर क्लेम बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 5 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 05/05 के मुरब्बा नम्बर 6, 20, 25, 47/13 की कुल 5.792 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 55/55 के मुरब्बा नम्बर 20, 25, 47/15 की कुल 2.024 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 41/42 के मुरब्बा नम्बर 6 की 2.986 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 73/73 के मुरब्बा नम्बर 6 की 1.466 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 75/75 के मुरब्बा नम्बर 18 की 1.898 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 6/6 के मुरब्बा नम्बर 6 की 0.506 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 74/74 के मुरब्बा नम्बर 9, 20 की 3.795 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 56/56 के मुरब्बा नम्बर 24, 25, 29 की कुल 5.590 हैक्टेयर भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि का बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★ सत्यमेव जयते

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 5 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 05/05 के मुरब्बा नम्बर 6, 20, 25, 47/13 की कुल 5.792 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 55/55 के मुरब्बा नम्बर 20, 25, 47/15 की कुल 2.024 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 41/42 के मुरब्बा नम्बर 6 की 2.986 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 73/73 के मुरब्बा नम्बर 6 की 1.466 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 75/75 के मुरब्बा नम्बर 18 की 1.898 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 6/6 के मुरब्बा नम्बर 6 की 0.506 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 74/74 के मुरब्बा नम्बर 9, 20 की 3.795 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 56/56 के मुरब्बा नम्बर 24, 25, 29 की कुल 5.590 हैक्टेयर भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	हरदयाल सिंह पुत्र चुग्घा सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर। (2.024 हैक्टेयर)	5 एफ एफ	20	7,8	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.80
				13,14	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.80
				17,18	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.80
				23,24	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.80
2	कुलवीर सिंह पुत्र काबल सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर। (0.506 हैक्टेयर)	5 एफ एफ	20	3,4	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.80
3	निशान सिंह पुत्र चुग्घा सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर। (4.477 हैक्टेयर)	5 एफ एफ	24	1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	0.95
				10,11,20,21	1.012 हैक्टेयर	नहरी	7.60
			29	1, 10	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.80
				2	0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.19
				9	0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.19
			9	3	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.90
			20	1,2,9,10	1.012 हैक्टेयर	नहरी	7.60
				11,12	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.80
				19 ता 22	1.012 हैक्टेयर	नहरी	7.60
4	काबल सिंह पुत्र चुग्घा सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर। (6.248 हैक्टेयर)	5 एफ एफ	6	1,10,11,20	1.012 हैक्टेयर	नहरी	7.60
				21	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.70
			25	1	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.70
				2 ता 9	2.024 हैक्टेयर	नहरी	15.20
				10	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.70
				12	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71
				13	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.90
				14	0.076 हैक्टेयर	नहरी	0.57
			18	1	0.127 हैक्टेयर	नहरी	0.95
				2 ता 5	1.012 हैक्टेयर	नहरी	7.60
				8 ता 10	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.70
			47/13		0.076 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
5	हरपाल सिंह पुत्र चुग्घा सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर। (5.464 हैक्टेयर)	5 एफ एफ	6	2,3	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.80
				8,9	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.80
				12,13	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.80
				18,19	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.80
				22	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.70
				23	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

			29	2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71
				3,4,5	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.70
				7,8	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.80
				9	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71
			25	11	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.70
				12	0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.19
			9	1,2	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.80
				4,7	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.80
6	मनमोहन सिंह पुत्र चुग्घा सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर। (5.338 हैक्टेयर)	5 एफ एफ	6	4 ता 7	1.012 हैक्टेयर	नहरी	7.60
				14 ता 17	1.012 हैक्टेयर	नहरी	7.60
				24	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71
				25	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71
			25	14	0.177 हैक्टेयर	नहरी	1.33
				15 ता 19	1.265 हैक्टेयर	नहरी	9.50
				20	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.70
				21	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.52
				22	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71
				23	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71
				24	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71
				25	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71
			47/15		0.075 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 25.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर